26-8-19	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वादी एवं प्रतिवादी वकील उपस्थित हुये। पत्रावली में वादी एवं वादी अधिवक्ता को बहुत बार साक्ष्यवादी प्रस्तुत करने का मौका दिया जाने के उपरान्त भी साक्ष्यवादी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है अतः पत्रावली साक्ष्य वादी के अभाव में खारिज की जाती है। पत्रावली इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त की जाती है। कार्यवाही वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त
	-: निरन्तर :-
	उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा जि. उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम मे जारी हुए
	अवसर दिये जाने के बावजूद भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना यह जाहिर करता है कि वादी वाद को चलाने को इच्छुक नहीं है जबकि वाद को साबित करने का सम्पूर्ण भार वादी पर होता है वाद में प्रतिवादी का जवाब भी पूर्व में ही बंद किया जा चुका है अत: उभय ओर से भी वाद में किसी वाद कारण पर वाद को चलाने की मंशा प्रतीत नहीं होती है अत: ऐसी परिस्थिति में वाद को आगे चलाना निरर्थक होकर मात्र न्यायालय का समय जाया करने के अलावा कुछ भी नहीं है अत: पत्रावली निरस्त की जाकर फैसला में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा जि. उदयपुर	